

प्रालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/216/19

तारीख रजु.....

रामवीर

बनाम मूली वगैरा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी /तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी .ख न. 186, 77, 79, 80, 82, वाके ग्राम टीकरी तहसील कठूमर के विवादीत आरांजीयात मे कब्जे काश्त मे रुकावट /मजाहमत पैदा न करे।</p>	

आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 18.02.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 18.02.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) कठूमर (अलवर)

02.20

वकील प्रार्थी उपस्थित /
साविक आदेश दिनांक 24.12.2019

दिनांक 30/4/24 को का हो: ले अतिरिक्त

~~A - B~~

उपखण्ड अधिकारी

कठमर (अलवर)

30/4/24

वकील जमीन उपखण्ड कार्य वकील जमीन को
क/2 आकाश प्रिन्टिंग मंडी के डि 3 पार्षद
नहीं आया अतः जमीन का डायरी नमूना
प्रति वकील जमीन के अफस प्रो. - अरुण
दाजरी में डी स्टैज पर खारिज किया जात
है, परावरी कमल सुभा (104/1)

कठमर (अलवर)

~~A - B~~
30/4/24
उपखण्ड अधिकारी
कठमर (अलवर)